RPL/CORP/SE
August 1, 2025

The Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 517500

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol: ROTO

Dear Sir / Madam,

Sub: **Newspaper Publication – Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account**

Pursuant to Regulations 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of newspaper publication in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, regarding transfer of equity shares of the Company on which the dividend has remained un-claimed for seven consecutive years, to Investor Education and Protection Fund Account.

The same was published today in the Delhi NCR Edition of Business Standard (English and Hindi).

The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority has been uploaded on the website of the Company at www.rotopumps.com under the Investors tab.

This is for your kind information and records please.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **ROTO PUMPS LTD.**

Ashwani Kumar Verma
Digitally signed by Ashwani Kumar Verma
Date: 2025.08.01 17:37:14 +05'30'

ASHWANI K. VERMA
COMPANY SECRETARY
M. NO. F9296

Encl.: A/a

ROTO PUMPS LTD.

CIN: L28991UP1975PLC004152
Regd. Off.: "Roto House", Noida Special Economic Zone, Noida – 201305 (U.P.)
Tel.:+91 120 2567902-05 | **Fax:** +91 120 2567911,
Email: investors@rotopumps.com | **Website:** www.rotopumps.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

Notice is hereby given in compliance with the provisions of 124(6) of the Companies Act, 2013 ('Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, the Company is required to transfer of all shares in respect of which dividend has been unclaimed for seven consecutive years or more, in the demat account of IEPF Authority.

In compliance with the Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned shareholders, whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account under the said Rules for taking appropriate action, the full details of such shareholders is made available on the website of the Company at: https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/.

Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2017-18 and onwards before the same is transferred to the IEPF. The unclaimed dividend for the for the financial year 2017-18 would become due for transferred to IEPF on November 5, 2025.

The concerned shareholders whose shares have been transferred to Suspense Escrow demat account of the Company and are liable to be transferred to the IEPF Authority, shall be debited from the said Suspense Escrow demat account of the Company. In case shares held in demat form, to the extent of shares liable to be transferred, shall be debited from the Shareholder account.

In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by November 5, 2025, the company shall with a view to adhering with the requirements of the rules, transfer the shares to demat account of the IEPF Account by the due date as per the procedure set out in the rules without any further notice to the shareholders and no liability shall lie against the Company in respect of the shares so transferred.

The Shareholders may note that they are eligible to claim both the unclaimed dividends and corresponding shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority for which details are available at www.iepf.gov.in, by following the procedure as prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any query on the above matter, they may contact Mr. Ashwani K Verma, Company Secretary, Roto Pumps Limited, 'Roto House', Noida Special Economic Zone, Noida - 2010305 Tel: 0120 2567902 or e-mail at investors@rotopumps.com

For ROTO PUMPS LTD.
Sd/-
Place: Noida **ASHWANI K. VERMA**
Date: 31.07.2025 **COMPANY SECRETARY**

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **गुल शरद अहमद और नफीसा** को **27.02.2025** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00520618** की राशि **रू. 37,70,144.86 (रूपये सैंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ चौवालीस और छियासी पैसे मात्र)** और **18.02.2025** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **29.07.2025** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 37,70,144.86 (रूपये सैंतीस लाख सत्तर हजार एक सौ चौवालीस और छियासी पैसे मात्र) 18.02.2025** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

निर्मित बेअरींग संपत्ति दूसरी मंजिल के सभी भाग और खंड, छत के अधिकार बिना, प्लॉट/प्रोप. नं. जी-113/5 के हिस्से पर निर्मित, माप 90 स्क्वे. यार्डस यानी 75.25 स्क्वे. मीटर्स , खसरा नं. 1646/628 और नए नं. 16/29-30 में से, दिल्ली-110051, जगत पुरी पर स्थित, गाँव खुरेजी खास, जी ब्लॉक, जगत पुरी, इलाक़ा शहादरा, खसरा नं. 1646/628 और नया नं.16/29-30, नई दिल्ली-110051. स्टिल्ट फ्लोर पर कॉमन वन टू व्हीलर पार्किंग जगह के साथ, पार्किंग का माप (3 फीट X 6 फीट) यानी पार्किंग क्षेत्र 1.67 स्क्वे. मीटर्स , सामान्य उपयोग की अन्य सामान्य सुविधाओं के साथ ।

चारों ओर से घिरा हुआ:
पूर्व : अन्य की संपत्ति पश्चिम : अन्य की संपत्ति
उत्तर : अन्य की संपत्ति दक्षिण : सड़क

सही/-
दिनांक : 29.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली **सम्मान कैपिटल लिमिटेड**
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय: सेक्टर पाई (161310)
एनएस–50, सेक्टर–पाई–1, एचर मार्केट, जी.बी. नगर 201310
ईमेल: bo161310@pnb.co.in

मांग नोटिस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत
दिनांक: 03.06.2025

सेवा में,
श्री इकबाल अहमद पुत्र अब्दुल करीम
फ्लैट संख्या 199 एफएफ (प्रथम तल), ब्लॉक–डी, सेक्टर ओमिक्रॉन–1, आवंटन संख्या BHS07–76014 (लाल बिल्डिंग), ग्रेटर नोएडा, जिला– गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201310
मोबाइल नंबर– 8448609350, 8882726802

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत नोटिस

प्रिय महोदय,
1) आपके अनुरोध पर, आपको बैंक द्वारा समय–समय पर **सेक्टर पाई (161310)** शाखा के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित कर विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उक्त ऋण सुविधाओं के प्रासंगिक विवरण तथा आपके द्वारा निष्पादित प्रतिभूति करार/दस्तावेज क्रमशः अनुसूची 'ए' और 'बी' में दिए गए हैं, जिसमें चल संपत्तियों की गिरवी शामिल नहीं है। आपने उक्त करार(ओं)/दस्तावेज(ओं) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता की अदायगी के लिए वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त की है।
2) आपने बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करते हुए हक विलेख/पंजीकृत रेहन जमा करके बंधन भी किया है। ऐसे बंधन से संबंधित दस्तावेज भी अनुसूची 'बी' में दिए गए हैं।
3) सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण अनुसूची 'सी' में विशेष रूप से दिए गए हैं।
4) आपने समय–समय पर शेष राशि की पुष्टि और रिवाईवल पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करके उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में देयता होना भी स्वीकार किया है। उक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का संचालन और व्यवहार अनियमित हो गया है और आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी में की गई चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 31–03–2025 को ऋण को अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5) उक्त वित्तीय सहायता निम्नलिखित की व्यक्तिगत गारंटी द्वारा भी प्रत्याभूत है:
1. 2 और 3

नियमित अनुरोध के बावजूद, आप उक्त बकाया राशि/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे हैं और उपेक्षा की है।

6) इसलिए, बैंक इस नोटिस को जारी करके उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपसे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से चुकता करने का आह्वान करता है। **02–06–2025** तक बैंकों को आपकी बकाया देनदारियाँ (कुल मिलाकर) **रु. 464464.00** (रुपये चार लाख चौसठ हजार चार सौ चौसठ मात्र) हैं। आप उक्त राशि पर अनुबंधित दर पर भविष्य में ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि भी भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
7) यदि आप **02–06–2025** तक बैंक को उपरोक्त राशि **रु. 464464.00** (रुपये चार लाख चौसठ हजार चार सौ चौसठ मात्र) का अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस नोटिस के अनुसार ऊपर बताए गए आगे की ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत के साथ भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो बैंक उक्त अधिनियम धारा 13 की उप–धारा(4) और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।
8) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप–धारा 13 के अनुसार आप बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस नोटिस की अनुसूची 'सी' में वर्णित उक्त प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित नहीं करेंगे।
9) हम आपका ध्यान सरफासी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर आकृष्ट करते हैं, जो कर्जदार/जमानती को प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को भारमुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताता है।
10) बैंक आपके द्वारा जारी और स्थापित बकाया बिल डिस्काउंटेड, बैंक गारंटी और साख पत्र के साथ–साथ अन्य आकस्मिक देनदारियों के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियों को चुकाने के लिए आपको कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11) यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक समझता है।

भवदीय,
पंजाब नैशनल बैंक के लिए

अनुसूची 'ए'
कर्जदार का नाम: श्री इकबाल अहमद पुत्र अब्दुल करीम

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	एनपीए की तारीख अर्थात आज तक ब्याज सहित बकाया राशि	से प्रभावी अनउपार्जित ब्याज	पीनल ब्याज (साधारण) लागत	बैंक द्वारा वहन प्रभार
1	नकद ऋण	रु.			
2	ओवरड्राफ्ट	रु.			
3	मियादी ऋण(एँ)	**रु. 464464/–**			
4	निर्यात पैकिंग ऋण	रु.			
5	बिल छूट	रु.			
6	बैंक गारंटी	रु.			
7	साख–पत्र	रु.			
8	निवेश जोखिम	रु.			
	कुल राशि	रु.			

अनुसूची 'बी'
दस्तावेज सूची (बंधन निष्पादन के सभी पूरक दस्तावेजों और साक्ष्य दस्तावेजों सहित प्रतिभूति दस्तावेजों का विवरण)

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रतिभूति का प्रकार	निष्पादन की तारीख	प्रत्याभूत राशि (रु.)
1	आबंटन सह विनियोजन पत्र दिनांक 15.11.2007	न्यायसंगत बंधन	24/03/2014	910000
2	कब्जा पत्र दिनांक 08.01.2014	न्यायसंगत बंधन	24/03/2014	910000
3	पट्टा विलेख 26.12.2013	न्यायसंगत बंधन	24/03/2014	910000
4	इकबाल अहमद के पक्ष में बिक्री विलेख का करार	न्यायसंगत बंधन	24/03/2014	910000
5	स्वामित्व विलेखों के जमा द्वारा बंधन	न्यायसंगत बंधन	24/03/2014	910000
6	प्रविष्टि ज्ञापन			
7	स्वामित्व विलेखों के जमा से संबंधित पुष्टि पत्र			

अनुसूची 'सी'
भाग – I (चल संपत्तियों का रेहन)
कृपया दस्तावेजों में उल्लिखित सभी रेहन संपत्तियों का उल्लेख करें जैसे स्टॉक, व्यापार में स्टॉक, प्राप्य, उपभोज्य भंडार और स्पेयर सहित चालू संपत्तियाँ और दस्तावेजों (अनुसूची–बी) में उल्लिखित कंपनी की संपूर्ण चालू संपत्तियाँ और रेहन चल संयंत्र और मशीनरी आदि – एन.ए.

भाग – II (अचल संपत्तियों का न्यायसंगत बंधन)
कृपया बंधक दस्तावेजों/विलेखों (अनुसूची "बी") के संदर्भ में दस्तावेजों में बताए अनुसार बैंक को बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण बताएं – (दस्तावेज संख्या, बही नं.–1, जिल्द नं.–14898, पेज नं. 19 से 40 पर क्रमांक–1855 दिनांकित 20.01.2024 के अंतर्गत कवर्ड)

(प्राधिकृत अधिकारी)

EICHER
EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877
Registered Office: Office Number 1111, 11th Floor, Ashoka Estate, Plot no. 24, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Telephone: +91 11 41095173
Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
Telephone: +91 124 4445070
Email: investors@eichermotors.com, **Website:** www.eicher.in

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crores)

S. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Revenue from operations	5,041.84	5,241.11	4,393.05	18,870.35
2.	Profit before share of profit / (loss) of Joint venture and tax	1,435.88	1,421.17	1,266.48	5,233.26
3.	Share of profit of Joint venture (VE Commercial Vehicles Limited)	157.11	247.99	174.56	699.81
4.	Tax expense	387.77	307.01	339.58	1,198.63
5.	Net Profit after tax and share of profit / (loss) of Joint venture	1,205.22	1,362.15	1,101.46	4,734.44
6.	Total Comprehensive income (net of tax)	1,281.51	1,131.35	1,092.12	4,504.12
7.	Paid-up Equity Share Capital	27.43	27.42	27.40	27.42
8.	Total Reserves				21,269.07
9.	Earnings Per Share (of ₹ 1 each) on net profit after tax in ₹ (Refer Note 2)				
	(a) Basic	43.95	49.69	40.21	172.76
	(b) Diluted	43.89	49.58	40.11	172.37

Key numbers of Standalone Financial Results:

Particulars	For the quarter ended			For the year ended
	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
Total revenue from operations	4,908.41	5,106.60	4,231.28	18,451.46
Profit before tax	1,697.39	1,417.59	1,433.11	5,468.56
Tax expense	390.90	292.46	345.09	1,189.30
Net Profit after tax	1,306.49	1,125.13	1,088.02	4,279.26
Total Comprehensive Income (net of tax)	1,377.15	888.46	1,089.33	4,059.42

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of consolidated unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly financial results (Consolidated and Standalone) are available on the Company's weblink https://eicher.in/content/dam/eicher-motors/investor/notifications/board---committee-meetings/outcome-of-board-meeting-July-31-2025.pdf and also on the website of stock exchanges i.e NSE –www.nseindia.com and BSE – www.bseindia.com.
2. Earnings per share is not annualised for the quarter ended June 30, 2025, March 31, 2025 and June 30, 2024.
3. The detailed unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025, can also be accessed by scanning the Quick Response Code given below:

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
B Govindarajan
Managing Director

Date : July 31, 2025

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा
नई दिल्ली
ईमेल : Jhandewalan.NewDelhi@bankofindia.co.in

अनुलग्नक एफ, परिशिष्ट–IV [नियम–8(1) देखें]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक माँग सूचना दिनांकित **22–04–2025** निर्गत की गयी थी, जिसमें उधारकर्ता / बंधककर्ता **श्रीमती मीरा दास एवं श्री समरेंद्र दास** को सूचना में अंकित राशि **रु. 47,06,286.85 + ब्याज (शब्दों में रुपये सैंतालीस लाख छह हजार दो सौ छियासी तथा पिचासी पैसे मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **30 जुलाई 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।**

उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 47,06,286.85** की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु **बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
फ्लैट संख्या वाई–203 से समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो ऑक्सी होम्स में द्वितीय तल पर, ग्राम बेहटा हाजीपुर, भोपुरा टीला रोड, परगना लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित हैं;
उत्तर में : प्रवेश उपमार्ग तत्पश्चात् फ्लैट संख्या 208
दक्षिण में : खुला क्षेत्र तथा पार्क
पूर्व में : लिफ्ट तथा फ्लैट संख्या 202
पश्चिम में : फ्लैट संख्या 204

दिनाँक : 30-07-2025 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया

HDFC BANK
We understand your world

विशेष परिचालन विभाग
चौथी मंजिल, आकांक्षा बिल्डिंग, जे के हीरो के सामने, 10-विजय प्लॉट कॉर्नर, गोंडल रोड, राजकोट-360 002

कब्जा सूचना (प्रतीकात्मक) (अचल सम्पत्ति के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13() के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक **07.01.2025** को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदारों **मैसर्स वीवी वुड एलएलपी, अपने साझेदारों के जरिए, श्री वजीर सिंह (साझेदार/गिरीवादा/गारंटर), श्रीमती हरमीत कौर (साझेदार एवं व्यक्तिगत गारंटर), नामधारी टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड (कॉरपोरेट गारंटर)** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **रु. 7,73,61,929.98 (रुपये सात करोड़ तिहत्तर लाख इकसठ हजार नौ सौ उनतीस एवं पैसे अनठानवे मात्र)** तथा **दिनांक 01.01.2025** से उस पर ब्याज, साथ में उस पर भविष्य के ब्याज तथा शुल्कों की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार(ों)/गारंटर(ों)/गिरवीदाता(ओं) द्वारा उक्त रकम चुकता करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार(ों)/गारंटर(ों)/गिरवीदाता(ओं) एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **28 जुलाई, 2025 को गाँधीधाम, गुजरात** में यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की उप-धारा 13 की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा विशेष तौर पर कर्जदार(ों)/गिरवीदाता तथा आम तौर पर जनसाधारण को सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 7,73,61,929.98 (रुपये सात करोड़ तिहत्तर लाख इकसठ हजार नौ सौ उनतीस एवं पैसे अनठानवे मात्र)** तथा दिनांक **01-01-2025** से उस पर ब्याज के साथ उस पर भविष्य के ब्याज एवं शुल्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है के साथ ब्याज एवं शुल्क इत्यादि की रकम के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तारीख एवं समय
अंजर से भचाऊ हाईवे, ग्राम वरसामेदी, तालुका अंचर, शील ऑयल के निकट, जिला कच्छ, गुजरात 370203, इंडस्ट्रियल गाँधीधाम क्षेत्र में में स्थित राजस्व सर्वे सं. 121/2, प्लॉट सं. 1, 2, 3 वाली औद्योगिक सम्पत्ति के साथ निर्मित तथा/अथवा निर्माण होने वाले वर्तमान एवं भविष्य दोनों के सभी भवनों तथा अवसंचरनाओं इत्यादि का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चौहद्दी निम्नानुसारः उत्तरः आरएस सं. 119/2, पूर्वः आरएस सं. 121/1, पश्चिमः प्लॉट सं. आरएस सं. 118, दक्षिणः आरएस सं. 126, बिक्री विलेख सं. 13.12.2021	28.07.2025 अपराह्न 04:50 बजे

टिप्पणीः ऊपरोक्त सूचना को अधिनियम के नियम 6, 8 एवं 9 के अधीन 30 दिनों की सूचना भी समझें।
स्थानः गाँधीधाम, गुजरात **एचडीएफसी बैंक लि.**
तारीखः 28/07/2025 **अधिकृत अधिकारी,**
आगे के किसी भी स्पष्टीकरण तथा संचार के लिए कृपया श्री विपुल दुबे से 8377905113 नं. पर सम्पर्क करें।

डीसीबी बैंक लि.
ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK
कब्जा सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसपर भावी ब्याज के साथ तालिका के रूप में यहां नीचे वर्णित अनुसार सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए ऋणियों **(ऋणी व सह–ऋणी)** को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथियों पर मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी और सह–ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी, सह–ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **29.07.2025** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी, सह–ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन यहां नीचे वर्णित अनुसार संबधित राशि के लिए डीसीबी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

मांग सूचना तिथि	22-09-2023
ऋणी(यों) व सह–ऋणी(यों)	मोहम्मद इस्लाम, जैद इंटरप्राइजेज (इसके मालिक मोहम्मद इस्लाम के द्वारा) और मुमताज बेगम
कुल बकाया राशि	**रु. 44,53,869.39/–** (रुपए चवालीस लाख तिरपन हजार आठ सौ उनहत्तर व उनतालीस पैसे केवल) 22.09.2023 तक
अचल संपत्ति का विवरण	मकान नं. 18 खसरा नं. 30 ऑफिसर्स ब्लॉक, पंचवटी कॉलोनी, क्षेत्र गांव महमा सराय उर्फ कोट, परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201009 **(प्रतिभूतित परिसंपत्ति)**

दिनांक : 01.08.2025 **कृते, प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **डीसीबी बैंक लिमिटेड**

क्षेत्रीय निदेशक,
कॉरपोरेट विषयक मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष
प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण हेतु समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन। क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट विषयक मंत्रालय उत्तरी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
भुरारिया कंसल्टेंट्स लिमिटेड (कंपनी) पंजीकृत कार्यालय 4873/1बी, 24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत 110002 के मामले में
...... आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित ऊपर उल्लिखित नियमों के अधीन कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन करने जा रही है तथा नीचे उल्लेखित रूपांतरण को प्रभावी रूप प्रभावी प्रदान करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु 14 जून, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रूपांतरित करना चाहती है।

कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी की स्थिति/प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा इसके कारण को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशकः बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके नीचे उल्लेखित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें: 4873/1बी, 24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत 110002

कृते भुरारिया कंसल्टेंट्स लिमिटेड
रमन भुरारिया
निदेशक
डीआईएन: 01676694
स्थानः नई दिल्ली **दिनांक: 31/07/2025**

Truhome FINANCE
ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

प्रधान कार्यालयः लेवल -3, वोखार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी -2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; दूरभाषः 1800 102 3435; वेबसाइटः **http://www.truhomefinance.in**
पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, द्वार नं. 5, पुराना नं.11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेयनाम्पेट, चेन्नई-600018

परिशिष्ट-IV-A **[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]** **अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों, बंधककर्ता/ओमं एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **कब्जा ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के बकायों की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर **19.08.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.** के बीच नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार नीलामी अनुसूची में की जायेगी।

कर्जदारों/बंधककर्ताओं तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा बोली वृद्धि भी निम्नवत दी गयी

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) एवं संविदा वृद्धि	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
ऋण संख्या **SBTHSNGR0000203, SLPHSNGR0000210, STUHSNGR0000257** 1. श्री आरामी लाल मीना पुत्र सिरमौर मीना (कर्जदार) चिंगपुरा, चंद्रावली, जिला-धौलपुर (राजस्थान) 328026 2. श्रीमती बद्री बाई पत्नी श्री आरामी लाल मीना (सह-कर्जदार) चिंगपुरा, चंद्रावली, जिला- धौलपुर (राजस्थान) 328026 3. श्री अशोक कुमार गंगवाल पुत्र कल्याण मल गंगवाल (गारंटर) बी- 208,80 फीट रोड, पानी की टंकी, महेश नगर, लाल कोठी, जयपुर (राज.) 302015 कब्जे की तिथि और प्रकार: 19 मार्च, 2025 भौतिक कब्जा ज्ञात ऋण भार: ज्ञात नहीं	मांग सूचना तिथि: 10.01.2025 रु. 51,04,039/- (रुपये इक्यावन लाख चार हजार उनतालीस मात्र) 09.01.2025 तक ऋण खाता संख्या **SBTHSNGR0000203, SLPHSNGR0000210** तथा **STUHSNGR0000257** के संदर्भ में तथा उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुबंध दर पर भावी ब्याज	रु. 3260000/- (रुपये बत्तीस लाख साठ हजार मात्र) बोली वृद्धि: रु. 10,000/- और इसके गुणकों में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.): रु. 326000/- (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 18.08.2025 समय : 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप. तक	19 अगस्त, 2025 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक	राजेश चौधरी 9460117810 अशफाक पटका 9819415477 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 08.08.2025 समय :11.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.

सम्पत्ति का विवरण
प्लॉट नं. 14, स्कीम गोकुल आंगन, गांव- कपूरावाला, तहसील- सांगानेर, जयपुर (राज.) संपत्ति का क्षेत्रफल-154.79 वर्ग गज। सीमा- पूर्व- प्लॉट नं. 13, पश्चिम- सड़क चौड़ाई 30 फीट, उत्तर- अन्य भूमि, दक्षिण- प्लॉट नं. 15

1) बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों, बोली प्रपत्र व अन्य के लिए **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** की वेबसाइट भी देखी जा सकती है।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए गए खाता विवरण में जमा करनी होगीः बैंक का नामः एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखाः बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई बैंक खाता संख्याः चालू खाता संख्या 911020045677633 आईएफएससी कोडः **UTIB0000230**

स्थानः जयपुर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी-ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
दिनांकः 01-08-2025 (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, इरकॉन इंटरनेशनल टावर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 09–05–2025 जारी की थी, जिसमें कर्जदार/गारंटर **मेसर्स शिव डेरी (स्वामी श्री निरजन सिंह पुत्र श्री खिला राम)** पता : मकान नंबर 313, वार्ड नंबर 10, पठान मोहल्ला, पानीपत–132103 से सूचना में वर्णित **रू. 22,82,465.00 (रुपये बाईस लाख बयासी हजार चार सौ पैंसठ मात्र)** की पूरी राशि **(+) 09–05–2025** की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार (–) **09–05–2025** के बाद वसूली, यदि कोई, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति/यों का **सांकेतिक कब्जा 30 जुलाई, 2025 को ले लिया है।** कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार एवं गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक में बंधक रखी और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :
वार्ड नं. 10, रामायणी चौक के पास, रविदास धर्मशाला के सामने, नगर निगम सीमा पानीपत हरियाणा के अंदर स्थित निर्मित मकान नं. 313 का न्यायिक बंधक, सम्पत्ति जे.एस.आर. पानीपत में पंजीकृत विलेख वसीका नं. 2718/1 दिनांकित 20–07–2004 के अनुसार श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री खिल्ला राम के नाम है, निम्नलिखित आयाम के साथ संपत्ति की चौहद्दी : – उत्तर : 9'4" गली, दक्षिण : 18'–7 + 24–4" श्री रामजी का मकान, पूर्व : 48'–2" गली, पश्चिम : 21'–4 + 21–3"

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
दिनांक : 01–08–2025 **प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुरुग्राम जोन**